



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CV 089578

श. कुमार पालीवाल  
अग्रवाल  
22 MAR 2016  
मथुरा, मथुरा

### साझेदारी विलेख

यह साझेदारी विलेख आज दिनांक 01.04.2016 को निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाता है।

1. आशीष अग्रवाल, (PAN : AVPPA1113L), पुत्र श्री आर. के. अग्रवाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी : शाहगंज गेट, मथुरा जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में प्रथम पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
2. मै. गौर प्रमात कुमार चतुर्वेदी HUF, (PAN AACHG2642C) द्वारा कर्ता प्रमात कुमार चतुर्वेदी, पुत्र स्व. श्री सुन्दरश्याम चतुर्वेदी, निवासी डेम्पियर नगर, उम्र लगभग 65 वर्ष, जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में द्वितीय पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
3. रमेश चन्द्र, (PAN : BBVPC2630M) पुत्र श्री जयचन्द्र उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी : 50, कुसुम वाटिका, जिला-मथुरा। जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में तृतीय पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
4. पंकज गौतम, (PAN : AYYPG1007H) पुत्र श्री रामदेव गौतम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी : ग्राम छटीकरा, जिला-मथुरा जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में चतुर्थ पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
5. कृष्ण कुमार चौबिया, (PAN : AIKPC0965C) पुत्र श्री राम नरेश उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी : ग्राम व पोस्ट छटीकरा, जिला मथुरा जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में पंचम पक्षकार कहा जायेगा।

*Handwritten signatures and notes:*  
21/3/2016  
Kumar  
Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CV 089579

उत्तर प्रदेश  
उत्तर प्रदेश  
22 MAR 2015  
आगरा

6. राधेश्याम, (PAN : CFNPR7886F) पुत्र श्री नत्थी, निवासी ग्राम वाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा  
जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में षष्ठम् पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
- ओमप्रकाश, पुत्र श्री नत्थी, निवासी ग्राम वाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा  
जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में सप्तम् पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
- रामभरोसी, पुत्र श्री नत्थी, निवासी ग्राम वाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा  
जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में अष्टम् पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
9. रामदास, (PAN : AYTPR9075R), पुत्र श्री नत्थी, निवासी ग्राम वाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा  
जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में नवम् पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
10. रघुनाथ प्रसाद शर्मा, (PAN : AURPS0831Q) पुत्र श्री हरप्रसाद,  
निवासी ग्राम वाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा  
जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में दशम् पक्षकार कहा जायेगा।  
एवं
11. नारायणप्रसाद, पुत्र श्री हरप्रसाद, निवासी ग्राम वाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा  
जिन्हें अब से आगे इस साझेदारी विलेख में एकादश पक्षकार कहा जायेगा।

अब इस विलेख के सभी पक्षकार मै. कृष्णांजली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स (Krishnanjali Builders and Developers) नामक फर्म से प्लॉटों/जमीन की खरीद-बिक्री, विकास एवं कमीशन पर खरीद एवं बिक्री एवं कंस्ट्रक्शन का कारोबार एवं अन्य सम्बन्धित व्यापार करने को सहमत होते हैं।

अब उक्त विलेख के सभी पक्षकार साझेदारी की सम्पत्ति

21/3/2015  
Ramesh Prasad

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CV 089580

हैदर कुंभार पारसियाल  
हैदर

को लिपिबद्ध करने के लिये इस साझेदारी विलेख को तैयार करने का निश्चय करते हैं ।

22 MAR 2013

बी.पी.ए.ए. आगरा

अतः यह साझेदारी विलेख निम्नलिखित शर्तों की साक्षी है :-

- 1- यह कि सभी पक्षकार साझेदारी में प्लॉटो/जमीन की खरीद-बिक्री, विकास एवं कमीशन पर खरीद एवं बिक्री एवं कंस्ट्रक्शन का कारोबार एवं अन्य सम्बन्धित व्यापार को करेंगे। सभी पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर फर्म के द्वारा कोई अन्य व्यापार भी किया जा सकता है।
- 2- यह कि फर्म का नाम मै0 कृष्णाजली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स रहेगा।
- 3- यह कि फर्म का मुख्य कार्यालय- शाहगंज दरवाजा मथुरा पर रहेगा। सभी पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर कार्यालय में परिवर्तन भी किया जा सकता है। सभी पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर उपरोक्त फर्म की शाखाएं अन्य स्थानों पर भी खोली जा सकती है।
- 4- यह कि षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम एवं एकादश पक्षकारों ने अपने स्वामित्व की भूमि स्थित मौजा गणेशरा, खाता नंबर-287 व खसरा नंबर-642 रकवा 0.232 हैक्टेयर व खाता नंबर-12 व खसरा नंबर-640 रकवा 0.235 हैक्टेयर व खाता नंबर-304 व खसरा नंबर-641 रकवा 0.231 हैक्टेयर व खाता नंबर-300 व खसरा नंबर-643 रकवा 0.089 हैक्टेयर है व खसरा नंबर-669 रकवा 0.124 हैक्टेयर व खाता नंबर-267 व खसरा नंबर-667 रकवा 0.397 हैक्टेयर व खाता नंबर-146 व खसरा नंबर-668 रकवा 0.39 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 1.705 हैक्टेयर को रुपये 40000000/- चार करोड़ रुपये मात्र में इस साझेदारी विलेख के माध्यम से इस साझेदारी फर्म में अपने पूंजी अंशदान के रूप में दे रहे हैं। इस प्रकार षष्ठम पक्षकार के पूंजीखाते में रुपये 5000000/- पचास लाख रुपये सप्तम पक्षकार के पूंजीखाते में रुपये 5000000/- पचास लाख रुपये व अष्टम पक्षकार के पूंजीखाते में रुपये 5000000/- पचास लाख रुपये व नवम पक्षकार के पूंजीखाते में रुपये 5000000/- पचास लाख रुपये दशम पक्षकार के पूंजीखाते में रुपये 10000000/- एक करोड़ रुपये व एकादश पक्षकार के पूंजीखाते में रुपये

22 MAR 2013  
B.P.A.A. Aggra